

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- नेहा गिरि, आई.ए.एस.जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा (अपील) नम्बर :- 18/2019

(Rcms no: 2019/00036)

उनवानी प्रकरण :-

1. रामअवतार पुत्र वीरेन्द्र सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम नगला बीधौरा तहसील बाडी जिला धौलपुर —————अपीलान्ट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायव तहसीलदार उप तहसील कंचनपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर —————रेस्पोजेण्ट।

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 19.2.2019 नायव तहसीलदार कंचनपुर प्र. सं. 152/2019 उनवानी राज0 सरकार बनाम रामअवतार अंतर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधि0 1956

उपस्थिति :-

अपीलान्ट की ओर से :- श्री रनवीर सिंह परमार अभिभाषक।

रेस्पोजेण्ट की ओर से :- श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक :-08.08.2019

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील नायव तहसीलदार उप तहसील कंचनपुर के निर्णय दिनांक 19.2.2019 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि आराजी खसरा नम्बर 292 रकवा कुल 84 बीघा 2 विस्वा किस्म सिवायचक वाके ग्राम नगला बीधौरा उप तहसील कंचनपुर में स्थिति है। हल्का पटवारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि उक्त आराजी में से 2 बीघा 6 विस्वा जमीन पर अपीलान्ट द्वारा अतिचार कर कब्जा कर लिया है। पटवारी हल्का द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में पेश की है। अपीलान्ट का उक्त आराजी के किसी भी भाग पर ना तो कब्जा रहा ना ही अपीलान्ट

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर



ने कभी कब्जा कर अतिचार ही किया है ना फसल का ही लाभ लिया है। हल्का पटवारी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अपीलान्त के विरुद्ध अतिचार सम्बन्धी रिपोर्ट की गई है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर एक माह के सिविल कारावास तथा 518/-रुपये की पैंनेल्टी आरोपित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की अपीलान्त पर कोई विधिवत रूप से तामील नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अपील अन्दर म्याद पेश है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.2.2019 निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोंडेंट की ओर से श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गयी।

अपीलान्त ने अपनी अपील के समर्थन में पैंनेल्टी जमा की रसीद की छाया प्रति, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय दिनांक 19.2.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रति तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को जारी सम्मन की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी पर अपीलान्त को पश्चात्वती अतिक्रमी मानते हुए बिना सुने लगान का 50 गुना जुर्माना राशि 517/-रुपये अधिरोपित कर एक माह के सिविल कारावास की सजा का आदेश दिया है, जो कि गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की तामील अपीलान्त पर विधिवत नहीं हुई है। अपीलान्त को निर्णय पारित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जबाव व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय नहीं दिया गया है, ना ही पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिया है। अपीलान्त को जबाव व साक्ष्य एवं जिरह का अवसर प्रदान किया जाता तो अपीलान्त अपने समर्थन में जबाव साक्ष्य अवश्य प्रस्तुत करता। विवादित आराजी पर अपीलान्त का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। अपील अपीलान्त अन्दर म्याद पेश है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.2.2019 निरस्त किया जावे।

रेस्पोंडेंट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अपीलान्त विवादित आराजी पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है, जो पश्चात्वती अतिक्रमी की परिभाषा में आता है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान एवं घटना वही से होती है। अपीलान्त ने सम्वत् 2074 में भी अतिक्रमण


नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर



किया था जिसे बेदखल किया गया था। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन गलत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जबाब साक्ष्य व पटवारी हल्का से जिरह का अवसर नहीं दिया है तथा बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये निर्णय पारित कर दिया है। इस तथ्य को सिद्ध करने हेतु अपीलान्ट ने न तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये ना ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किये हैं। अपीलान्ट बावजूद नोटिस तामील के निर्णय दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। यदि अपीलान्ट का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं था तो उनके द्वारा जुर्माना राशि की अदायगी क्यों की गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन गलत है कि अपील अन्दर म्याद पेश की है। जब अपील अन्दर म्याद थी तो अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील मीमों के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र किस उद्देश्य से लगाया गया है। इससे यह सिद्ध होता कि अपील अपीलान्ट म्याद बाहर पेश की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.2.2019 यथावत रखा जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :-

1. यह तथ्य सही है कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिकमी है। इस तथ्य की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट पटवारी के बयान एवं घटना वही से होती है।
2. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट का यह कथन सिद्ध नहीं होता कि बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है। इस बिन्दु के सम्बन्ध हमारा मत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट पर विधिवत हो गई थी बावजूद तामील के अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हुआ था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया।
3. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक के इस कथन से हम सहमत नहीं हैं कि उसका विवादित आराजी पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है यदि अपीलान्ट का कब्जा काशत नहीं था तो अपीलान्ट द्वारा पैनेल्टी राशि किस उद्देश्य से जमा कराई गई है। पैनेल्टी राशि जमा कराने से यह सिद्ध हो जाता है कि अपीलान्ट का विवादित आराजी पर अतिकमण है।
4. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन उचित नहीं है कि अपील अपीलान्ट अन्दर म्याद पेश है। यदि अपीलान्ट द्वारा अपील अन्दर म्याद पेश की थी तो उसको अपील मीमों के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रस्तुत किया था।
5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कोई कानूनी त्रुटि नहीं की है।


 नेहा गौर
 जिला कलेक्टर धौलपुर



उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.2.2019 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



नेहा मिश्रा
जिला कलक्टर, धौलपुर